प्रेस विज्ञप्ति

20.11.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने 21.11.2024 को माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट, गुरुग्राम के समक्ष प्रवीण यादव, ऋतुराज यादव, ममता यादव, नवीन कुमार, कमल सिंह, दिनेश कुमार, किरणपाल यादव, मेसर्स कोशिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एसएस डेवलपर्स, मेसर्स मंगला स्पन पाइप इंडस्ट्रीज, मेसर्स सी हॉक सर्विसेज और मेसर्स श्री श्याम इंडस्ट्रीज के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की थी। इस मामले में माननीय न्यायालय ने 17.11.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने परवीन यादव और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत पीएस मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा द्वारा दर्ज की गई 5 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इसके बाद, एलईए द्वारा सभी 5 एफआईआर में कई व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए गए।

ईडी की जांच में पता चला कि परवीन यादव ने टीम कमांडर सिक्योरिटी एंड लॉजिस्टिक्स और एससी एडमिन के रूप में स्टेशन हेड क्वार्टर एनएसजी, मानेसर में पदस्थापना पर रहते हुए आपराधिक साजिश रची और एनएसजी, मानेसर के नाम पर जाली दस्तावेज बनाए तथा एक्सिस बैंक, गुरुग्राम में "ईएमडी फॉर सेंट्रल वेयरहाउस एनएसजी मानेसर" के नाम से एक फर्जी बैंक खाता खोला, जिसमें उनकी बहन श्रीमती रितुराज यादव ने उनकी सहायता की क्योंकि वह उसी शाखा में प्रबंधक के पद पर तैनात थीं। इसके अलावा, अपनी साजिश के तहत, परवीन यादव ने कई ठेकेदारों को एनएसजी, मानेसर के नाम पर जाली दस्तावेज दिए और/या जारी किए, जिससे उन्हें एनएसजी, मानेसर में सड़कें बनाने, तार की बाड़ लगाने, स्ट्रीट लाइट लगाने, गोदाम बनाने, दूध और अंडे की आपूर्ति करने, आवासीय क्वार्टर बनाने आदि के लिए विभिन्न गैर-मौजूद/फर्जी निविदाएं आवंटित की गईं।

ईडी की जांच में पता चला कि इस तरह के तरीके से, परवीन यादव ने सेंट्रल वेयरहाउस एनएसजी मानेसर के उक्त फर्जी बैंक खाते, यानी ईएमडी में लगभग 123.14 करोड़ रुपये की अपराध आय (पीओसी) जमा की थी। इसके अलावा, परवीन यादव ने अपने परिवार के सदस्यों और अन्य साथियों की मदद से इन पीओसी का उपयोग विभिन्न चल और अचल संपत्तियों की खरीद के लिए किया।

वर्तमान मामले में, ईडी ने अब तक 48.32 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया है, जिसकी पुष्टि विद्वान निर्णायक प्राधिकरण द्वारा की गई है।